न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 56/2023

वादी

1. लुम्बाराम पुत्र भूराराम जाति मेघवाल निवासी पाचुण्डा कलां तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण

1 केसाराम पुत्र छोगाराम

2 चन्दाराम पुत्र छोगाराम जाति माली निवासी पाचुण्डा खुर्द तहसील सोजत

3 श्रीमती राधा देवी पत्नी डायाराम

4 श्रीमती लीला देवी पत्नी गणपतलाल जाति मेघवाल निवासी सियाट तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

5 घीसाराम पुत्र छोगाराम के उत्तराधिकारी गण

5/1 प्रकाश पुत्र घीसाराम

5/2 सुखाराम पुत्र घीसाराम जाति माली निवासी रायपुर तह0 रायपुर

5/3 पानीदेवी पुत्री घीसाराम पत्नी मोतीलाल जाति माली निवासी साण्डिया तहसील सोजत

5/4 कमला पुत्री घीसाराम पत्नी मांगीलाल जाति माली निवासी गुड़ा बच्छराज तहसील सोजत

5/5 तारा पुत्री घीसाराम पत्नी घीसुलाल जाति माली नि0 रायपुर

5/6 विद्या पुत्री घीसाराम पत्नी नेमाराम जाति माली नि0 कण्टालिया

5/7 सुमिया पुत्री घीसाराम पत्नी मोहनलाल जाति माली नि0 कण्टालिया

5/8 प्रभुराम पुत्र घीसाराम के उत्तराधिकारी गण

5/8/1 पुष्पा पत्नी प्रभुराम

5/8/2 वंश

5/8/3 निकिता

5/8/4 हरिश प्रतिवादी संख्या 5/8/2 से

5/8/4 नाबालिग जरिये कुदरती वलि माता प्रतिवादी संख्या 5/8/1 पुष्पा पत्नी प्रभुराम जाति माली नि0 रायपुर

6 तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

<u>उपस्थितिः–</u>

1. श्री गोविन्द दवे अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

2. श्रीमती सोनल बोहरा अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित।

—: **निर्णय** :— दिनांक – 18/07/2023

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा पाचुण्डा खुर्द पटवार हल्का सियाट तहसील सोजत में खसरा नम्बर 31 रकबा 0.9400 हैक्टर, खसरा नम्बर 32 रकबा 1.0000 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.9400 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में वादी का 1/6 हिस्सा एवं सह खातेदार प्रतिवादी सं0 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 का 1/6, प्रतिवादी सं0 3 का 1/12, प्रतिवादी सं0 4 का 1/4 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0 5/1 से 5/7 का 1/48–1/48 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 5/8/1 से 5/8/4 का 1/192–1/192–1/192 हक हिस्सा है। वादस्थ कृषि जोत की भूमि मौके पर पूर्वजों के समय से विभाजित है तथा मौके पर विभाजन के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने हक हिस्से काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण तमाम अपनी मनमर्जी से संयुक्त कृषि जोत भूमि पर माठ एवं धोरा पाली तोड़ कर अपनी मनमर्जी से संयुक्त कृषि जोत की भूमि पर अपने अपने हक हिस्से अधिक भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं तथा वादी को माठ के सहारे सहारे अपने हक हिस्से में आयी कृषि जोत की भूमि में जाने से रोकते है। वादी की हक हिस्से की कृषि जोत की भूमि में भी निराई, गुडाई, अवराई एवं रास्ते को लेकर विवाद करते है। प्रतिवादीगण अपने पूर्वजों के समय हुए मौखिक बंटवाड़ा को नहीं मानकर अब अपनी मर्जी माफिक कानून हाथ में लेकर लाठी लकड़ी के बल पर वादस्थ कृषि जोत की भूमि में पूर्वजों के समय से माठ, धोरा पाली को तोड़कर उपजाऊ जमीन देखकर मर्जी माफिक कब्जा करना चाहते है। वादी द्वारा तमाम प्रतिवादीगण से संपर्क कर बंटवाड़ा करवाने हेतु कई बार निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण तमाम वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा करवाने से इंकार कर दिया। वाद हेतु दिनांक 10.06.2023 को प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर आकर मर्जी माफिक अपने हक से अधिक भूमि पर कब्जा करने से व विधिक बंटवाड़ा करवाने से इंकार करने से वाद बमुकाम ग्राम पाचुण्डा खुर्द तहसील सोजत पैदा हुआ। इस प्रकार वाद पेश कर सरहद मौजा सियाट तहसील सोजत में खसरा नम्बर 31 रकबा 0.9400 हैक्टर, खसरा नम्बर 32 रकबा 1.0000 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.9400 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कृषि भूमि का मौके पर काबिज स्थिति अनुसार बाई मेट्स एण्ड बाउण्डस के तहत विभाजन कर प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जावे।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन वास्ते ज0दा0 तलब किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्रीमती सोनल बोहरा ने वकालतनामा एवं ज0दा0 पेश किया सा0मि0 किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी ने ज0दा0 पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र पद संख्या 01 से 04 सही होने से स्वीकार होना, पद संख्या

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

04 से 07 में वर्णित तथ्य कानूनी तथा पद संख्या 08 में वादी की ईश्तदुआ अनुसार वादरथ भूमि का माफिक वाद एवं दर्ज हक हिस्सा अनुसार बंटवाड़ा किया जाने तथा वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर माफिक वादी की ईश्तदुआ अनुसार वाद डिकी किया जाये। दिनांक 22.06.2023 को अधिवक्ता वादी ने प्रा0 डिक्री जारी करने का निवेदन किया। कि उभय पक्ष विभाजन हेतु सहमत है।

दिनांक 22.06.2023 को उभय पक्षों की सहमति से प्रा0 डिक्री जारी की जाकर सरहद मौजा पाचुण्डा खुर्द पटवार हल्का सियाट तहसील सोजत में खसरा नम्बर 31 रकबा 0.9400 हैक्टर, खसरा नम्बर 32 रकबा 1.0000 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.9400 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल पक्षकारानो में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा भिजवाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया गया। तहरीर पत्रांक /कोर्ट /2018 /300 दिनांक 30.06.2023 द्वारा लिखा जाकर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा चाहे जाने पर तहसीलदार, सोजत ने पत्रांक/2023/1056 दिनांक 12.07.2023 द्वारा आरटी0 एक्ट एवं आर0टी0 (राज) नियम 1955 के नियम 18 से 21 अनुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रेषित किये, सा0मि0 है।

अधिवक्ता मय वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित हुए। प्रस्तुत आर0टी0एक्ट0 एवं आर0टी0 नियम के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए प्रेषित किया। उपस्थित उभय पक्षों की उपस्थिति में तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में की गई स्वीकारोक्ति/सहमति अनुसार तथा उभयपक्षों के अधिवक्तागण की दौराने बहस स्वीकारोक्ति की है। जिससे वादी का वाद डिकी किया जाना तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य माफिक राजस्व रेकार्ड पक्षकारानों में उनके हक हिस्से एवं मौका स्थिति अर्थात विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शानुसार बंटवाड़ा किया जाकर खाता व लगान अलग-अलग अर्थात खसरा नम्बर, रकबा, किस्म व लगान अलग-अलग से निर्धारण किये जाने को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

–: आदेश :–

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा पाचुण्डा खुर्द पटवार हल्का सियाट तहसील सोजत में खसरा नम्बर 31 रकबा 0.9400 हैक्टर, खसरा नम्बर 32 रकबा 1.0000 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.9400 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

					रू0
1.	लीला पुत्री गणपतलाल कौम मेघवाल सा. सियाट खातेदार	31	0.4850	बा0दो0	2.42
2.	राधा पुत्री डायाराम कौम मेघवाल सा. सियाट खातेदार	31/1	0.1617	वा0दो0	0.81
3.	लूम्बाराम पुत्र भूराराम कौम मेगवाल सा. पाचुण्डा कलां खातेदार	31/2 32	0.2933 0.03	बा0दो0 बा0दो0	1.47 0.15
	योग	2	0.3233	बा0दो0	1.62
4.	चन्दाराम पुत्र छोगाराम कौम माली सा.देह खातेदार	32/1	0.3233	बा0दो0	1.62
5.	केसाराम पुत्र छोगाराम कौम माली सा.देह खातेदार	32/2	0.3233	बा0दो0	1.62
6.	घीसाराम पुत्र छोगाराम कौम माली सा0देह खातेदार	32/3	0.3234	बा0दो0	1.61

प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नही करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिकी पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 12.07.2023 की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 18/07/2023.. को सरे ईजलासं मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी सोजत

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी

1. लुम्बाराम पुत्र भूराराम जाति मेघवाल निवासी पाचुण्डा कलां तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण

1 केसाराम पुत्र छोगाराम

2 चन्दाराम पुत्र छोगाराम जाति माली निवासी पाचुण्डा खुर्द तहसील सोजत

3 श्रीमती राधा देवी पत्नी डायाराम

4 श्रीमती लीला देवी पत्नी गणपतलाल जाति मेघवाल निवासी सियाट तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

5 घीसाराम पुत्र छोगाराम के उत्तराधिकारी गण

5/1 प्रकाश पुत्र घीसाराम

5/2 सुखाराम पुत्र घीसाराम जाति माली निवासी रायपुर तह0 रायपुर

5/3 पानीदेवी पुत्री घीसाराम पत्नी मोतीलाल जाति माली निवासी साण्डिया तहसील सोजत

5/4 कमला पुत्री घीसाराम पत्नी मांगीलाल जाति माली निवासी गुड़ा बच्छराज तहसील सोजत

5/5 तारा पुत्री घीसाराम पत्नी घीसुलाल जाति माली नि0 रायपुर

5/6 विद्या पुत्री घीसाराम पत्नी नेमाराम जाति माली नि0 कण्टालिया

5/7 सुमिया पुत्री घीसाराम पत्नी मोहनलाल जाति माली नि0 कण्टालिया

5/8 प्रभुराम पुत्र घीसाराम के उत्तराधिकारी गण

5/8/1 पुष्पा पत्नी प्रभुराम

5/8/2 वंश

5/8/3 निकिता

5/8/4 हरिश प्रतिवादी संख्या 5/8/2 से

5/8/4 नाबालिग जरिये कुदरती वलि माता प्रतिवादी संख्या 5/8/1 पुष्पा पत्नी प्रभुराम जाति माली नि0 रायपुर

6 तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मु0नं0 :– 56/2023

उपस्थितिः–

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

1. श्री गोविन्द दवे अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. श्रीमती सोनल बोहरा अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री गोविन्द दवे एवं श्रीमती सोनल बोहरा अधिवक्ता प्रति0 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद पाचुण्डा खुर्द पटवार हल्का सियाट तहसील सोजत में खसरा नम्बर 31 रकबा 0.9400 हैक्टर, खसरा नम्बर 32 रकबा 1.0000 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.9400 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान रू0
1.	लीला पुत्री गणपतलाल कौम मेघवाल सा. सियाट खातेदार	31	0.4850	बा0दो0	2.42
2.	राधा पुत्री डायाराम कौम मेघवाल सा. सियाट खातेदार	31/1	0.1617	बा0दो0	0.81
3.	लूम्बाराम पुत्र भूराराम कौम मेगवाल सा. पाचुण्डा कलां खातेदार	31/2	0.2933	बा0दो0	1.47
		32	0.03	बा0दो0	0.15
	योग	2	0.3233	बा0दो0	1.62
4.	चन्दाराम पुत्र छोगाराम कौम माली सा.देह खातेदार	32/1	0.3233	बा0दो0	1.62
5.	केसाराम पुत्र छोगाराम कौम माली सा.देह खातेदार	32/2	0.3233	बा0दो0	1.62
6.	घीसाराम पुत्र छोगाराम कौम माली सा0देह खातेदार	32/3	0.3234	बा0दो0	1.61

तहसीलदार, सोजत उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना प्रतिवेदन न्यायालय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। इस निर्णय एवं डिकी पर्चा व विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार, सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित की जाकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पालना तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान –　　　　मुबलिग –　　　　बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 18/7/23 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी • (राज.) • सोजत, जिला-पाली

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			